राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 22/2025

प्रार्थी/सायल	**बनाम**	**अप्रार्थी/गैर सायलान्**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **आलपुरा**		गणपत पुत्र रिड़मलराम जाति मेघवाल निवासी रामाणी कुम्हारों की ढाणी,आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 22.12.2025

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का **आलपुरा** ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा **रामाणी कुम्हारों की ढाणी** राजकीय भूमि ख.न. **96/2, 98** रकबा क्रमशः 0.0890, 0.2428 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता(राजकीय भूमि) में से **0.0331, 0.0351** हैक्टेयर कुल **0.0682** हैक्टेयर भूमि पर जीरा बोकर व बाड़ बनाकर अतिचार/अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायलान् को नोटिस जारी किये गये।

गैर सालय् को सुनवाई का दुबारा अवसर दिया गया। सुनवाई की नियत तिथि 16.12.2025 को सायल् उपस्थित। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल को जवाब एवंम साक्ष्य हेतु पुनः अवसर दिया गया। के बावजूद गैर सायल द्वारा उक्त अतक्रमण नहीं होने के संबंध में किसी भी प्रकार से जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः गैर सायल द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर रखा है। जिससे आमजन, विद्यार्थियों, मरीजों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मूल भावना बाधित हो रही है। आमजन को उक्त रास्ते की **अत्यावश्कता** होने से गैर सायलान् के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि(गैर मुमकिन रास्ता) है। जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा होने से ग्रामीणों, काश्तकारों का सुखाचार का अधिकार प्रभावित हो रहा है। रास्ते की अत्यावश्यकता होने से उक्त प्रकरण में विलम्ब किया जाना उचित नहीं है। अतः गैर सायल् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.05 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए **50** रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा निलामी, बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Solanki
Date: 2026.02.05 17:50:50 IST
Reason: SelfAttested

(ईश्वर लाल सोलंकी)
तहसीलदार गुड़ामालानी

कार्यालय तहसीलदार गुड़ामालानी